

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान दामाखोडा


दिनांक :- 15/5/23

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दामाखोडा व भू-अभिलेख निरीक्षक कपासन की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम साण्डियारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 159, 162 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	साण्डियाडा	159	हंसराज पुत्र भेरा हिस्सा 1/16 जाति-जाट सा.देह खालेदार	हेमराज पुत्र भेरा हिस्सा 1/16 जाति-जाट सा.देह खालेदार
2	साण्डियारडा	162	हंसराज पुत्र भेरा हिस्सा 1/16 जाति-जाट सा.देह खालेदार	हेमराज पुत्र भेरा हिस्सा 1/16 जाति-जाट सा.देह खालेदार

क्रमांक/116
15/05/2023


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

क्रमांक /
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री हंसराज पुत्र भेरा जाट को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी, कपासन
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़